बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–1–87/2017 200 /पटना, दिनांक :– 23.1.24

श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवगछिया अंतर्गत दो पथों यथा बसगढ़ा से परवत्ता से जठगोविन्द पथ एवं L025-T01 रामवृक्ष वासा छट्टू सिंह टोला से कमलाकुण्ड भाया इस्माईलपुर पथ के संदर्भ में राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 08.08.2019 के आलोक में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के लगभग दो वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1081 अनु0 दिनांक 10.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री प्रभाकर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 23.03.2021 की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। समीक्षा में श्री प्रभाकर के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया। मामले की समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभाकर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22.1.24

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

E:/r.k.ranjan notification 2024/section-2/letter.docx

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–87/2017 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही 45 दिनों के अंदर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

22/1/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–87/2017 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

22/1/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–87/2017 201 /पटना, दिनांक :– 23.1.24

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/24

अवर सचिव